कार्यालय प्रयोगार्थ

जनजातीय विकास विभाग का संक्षिप्त परिचय, कार्यनीति तथा कार्यक्रम

Shri Sukhvinder Singh
Hon’ble Chief Minister

Shri Jagat Singh Negi
Hon’ble Minister
Tribal Development

जनजातीय विकास विभाग,

हिमाचल प्रदेश सरकार,

शिमला–2।

जनजातीय विकास विभाग का संक्षिप्त परिचय, कार्यनीति तथा कार्यक्रम

भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान की अनुसूची–5 के अनुच्छेद–6 के अन्तर्गत प्रदेश के किन्नौर तथा लाहौल–स्पिति जिलों को सम्पूर्ण रूप से तथा जिला चम्बा के पांगी और भरमौर उप–मण्डलों को हिमाचल प्रदेश (आदेश 1975 संवैधानिक आदेश संख्या 102) दिनांक 21 नवम्बर, 1975 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों के विकास के लिए पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष 1974–75 में जनजातीय उप–योजना का प्रारम्भ हुआ तथा इसके अच्छे परिणाम के उद्देश्य से जनजातीय उप–योजना के कार्यान्वयन हेतु एक सामरिक नीति तैयार की गई। 9 जून, 1976 को जनजातीय विकास विभाग की स्थापना की गई और आयुक्त, जनजातीय विकास विभाग, को विभागाध्यक्ष बनाया गया तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में परियोजना अधिकारी तैनात किये गये। वर्ष 1981 में इस विभाग में अनुसूचित जाति के कल्याण सम्बन्धी विशेष घटक योजना को भी शामिल किया गया जिसके उपरान्त इसका नाम अनुसूचित जाति एवं अनसुचित जनजाति विकास विभाग रखा गया। मई, 2002 में अनुसूचित जाति कल्याण से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (कल्याण विभाग) को स्थानांतरित होने से अब इस विभाग को जनजातीय विकास विभाग के नाम से जाना जाता है। विभाग का संगठन चार्ट अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

इन क्षेत्रों में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 71.16% अनुसूचित जन–जाति, 13.12% अनुसूचित जाति तथा 15.72% अन्य लोग निवास करते हैं। इन क्षेत्रों में किन्नौरा, बौद्ध, पंगवाला, गद्दी तथा स्वांगला प्रमुख अनुसूचित जन–जाति के लोग निवास करते हैं। इन क्षेत्रों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 23,655 वर्ग किलोमीटर है जो कि प्रदेश के सकल भौगोलिक क्षेत्रफल का 42.49 प्रतिशत भाग है। इन क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 1,73,661 है। प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व समस्त प्रदेश में 123 की तुलना में इन क्षेत्रों में केवल 7 है। 2001–2011 दशक के दौरान जनजातीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर सम्पूर्ण प्रदेश में 12.94 प्रतिशत के मुकाबले 4.36 प्रतिशत रही। प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र को विकास के लिए 5 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्षेत्रों, नामतः किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर में विभक्त किया गया है। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में निवास कर रही जिला बार जनजातीय जनसंख्या का विवरण अनुलग्नक 'ख' पर तथा प्रत्येक जनजातीय समुदाय का जनसंख्या विवरण अनुलग्नक 'ग' पर है।

जनजातीय विकास के लिए कार्यनीति तथा कार्यक्रम

प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र सुपरिभाषित प्रशासनिक इकाइयां हैं। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र को 5 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना क्रमशः किन्नौर, लाहौल, स्पिति, पांगी तथा भरमौर में विभाजित किया गया है। जिला किन्नौर एवं एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना किन्नौर में कल्पा, पूह व निचार विकास खण्ड पड़ते हैं तथा शेष परियोजना क्षेत्र उसी नाम के विकास खण्ड के समरूप हैं।

विकासात्मक बजटः–

जनजातीय विकास कार्यक्रम के तहत वर्ष 2023–24 के दौरान मु0 857.14 करोड़ रूपये के मुकाबले वर्ष 2024–25 के लिए 899.05 करोड़ रूपये प्रस्तावित किए गए हैं।

जनजातीय सलाहकार परिषद :–

संविधान के अनुच्छेद 244 (I) तथा अनुसूची–5 के भाग–बी के पैरा–4 के अन्तर्गत प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्रों के कल्याण एवं उत्थान सम्बन्धी मामलों में सलाह देने हेतु 13–12–1977 से हि0 प्र0 जनजातीय सलाहकार परिषद गठित है। इस परिषद् की प्रथम बैठक 24–6–1978 को हुई थी तथा अब तक इसकी 48 बैठकें हो चुकी है एवं अन्तिम बैठक दिनांक 12–10–2023 को सम्पन्न हुई। इस परिषद के अध्यक्ष मुख्य मन्त्री हैं। अध्यक्ष सहित परिषद के कुल चौबीस (18 गैर सरकारी, 2 सरकारी तथा 4 विशेष आमंत्रित) सदस्य हैं। यह परिषद् केवल परामर्शदात्री ही नहीं बल्कि इसकी सिफारिशें आमतौर पर सरकार द्वारा मान ली जाती हैं या स्वयं परिषद द्वारा ही विचार विमर्श उपरान्त छोड़ दी जाती हैं। मामलों पर परामर्श देने के अतिरिक्त यह जनजातीय विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करती है।

परियोजना सलाहकार समितिः–

प्रत्येक परियोजना क्षेत्र के लिए अलग परियोजना सलाहकार समिति गठित है। इस समिति के अध्यक्ष माननीय जनजातीय विकास मंत्री, किन्नौर, पांगी तथा भरमौर के लिए और विधायक, लाहौल एवं स्पिति, लाहौल एवं स्पिति के लिए हैं। इसके अतिरिक्त जनजातीय सलाहाकार परिषद के स्थानीय सदस्य, उपायुक्त/आवासीय आयुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जैसा भी प्रयुक्त हो, परियोजना स्तरीय विभागीय अधिकारी शामिल हैं तथा सम्बन्धित परियोजना अधिकारी, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना इसके सदस्य सचिव हैं। इस के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा मनोनीत प्रत्येक परियोजना क्षेत्र से क्रमशः 2 सदस्य, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निर्वाचित जिला परिषद् सदस्यों में

से, 2 सदस्य अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों में से तथा 2 पंचायत प्रधान शामिल किये गये हैं। इन क्षेत्रों के सांसद भी इस बैठक में विशेष सदस्य के रूप में आमन्त्रित किये जाते हैं। यह समिति जनजातीय विकास कार्यक्रम का प्रारूपीकरण, कार्यान्वयन एवं समीक्षा करती है तथा नाभिक बजट के अन्तर्गत उपलब्ध राशि का आबंटन एवं अनुमोदन भी प्रदान करती है।

इकहरी प्रशासनिक प्रणालीः–

वर्ष 1986 से पूर्व अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचा एक समान था परन्तु अप्रैल 1986 में परियोजना क्षेत्र पांगी में इकहरी प्रशासनिक प्रणाली का सूत्रपात करते हुए वहां आवासीय आयुक्त की नियुक्ति की गई तथा वहां स्थित सभी कार्यालयों का विलय आवासीय आयुक्त पांगी के कार्यालय में किया गया और उन्हें प्रत्येक विभाग के विभागाध्यक्ष की शक्तियां प्रदान की गईं ताकि वे परियोजना क्षेत्र में उच्चतम प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकें। इस प्रकार राज्य तथा परियोजना स्तर के बीच इकहरी प्रशासनिक प्रणाली स्थापित हुई। यह प्रयोग अत्यन्त सफल रहा और अन्य परियोजना क्षेत्रों से ऐसी पद्धति लागू करने की मांगोपरान्त 15 अप्रैल, 1988 से अन्य क्षेत्रों में भी लागू की गई। जिला किन्नौर में इकहरी प्रशासनिक प्रणाली 19–7–1996 से समाप्त कर दी गई थी जिसे वर्ष 1998 में पुनः बहाल कर दिया गया है। नए प्रशासनिक ढांचे के अन्तर्गत विभिन्न परियोजना क्षेत्रों में विशिष्ट प्राधिकारी इस प्रकार हैंः–

	परियोजना क्षेत्र	**विशिष्ट प्राधिकारी**
1.	पांगी	आवासीय आयुक्त, पांगी स्थित किलाड़
2.	किन्नौर	उपायुक्त, किन्नौर स्थित रिकांगपिओ
3.	लाहौल	उपायुक्त, लाहौल–स्पिति स्थित केलांग
4.	स्पिति	अतिरिक्त उपायुक्त, स्पिति स्थित काजा
5.	भरमौर	अतिरिक्त उपायुक्त, भरमौर

जनजातीय विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपनाई गई सामरिक–नीति से अनुसूचित क्षेत्रों तथा वहां रह रहे लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के उद्देश्य से योजना तथा गैर–योजना स्कीमों के लिए निर्धारित बजट के क्षेत्रवार सदुपयोग के लिए पृथक मांग का सृजन किया गया है। वर्ष 1981–82 में सृजित की गई इस मांग का नाम मांग संख्या–35 था जो अब मांग संख्या–31 है। इस मांग का संचालन एवं नियन्त्रण, जनजातीय विकास विभाग के पास है। प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, जलवायु तथा आर्थिक स्थिति भिन्न होने के कारण इन क्षेत्रों के लिए

निर्धारित/आबंटित राशि केवल मात्र इन्हीं क्षेत्रों में खर्च हो तथा क्षेत्रीय स्थिति के अनुसार विकास हो, के उद्देश्य से यहां के भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या अनुपात तथा आर्थिक पिछड़ेपन को आधार मानते हुए राशि आबंटन की क्षेत्रवार प्रतिशतता निर्धारित की गई है जो निम्नोक्त है :

किन्नौर	30 प्रतिशत
लाहौल	18 प्रतिशत
स्पिति	16 प्रतिशत
पांगी	17 प्रतिशत
भरमौर	19 प्रतिशत

राज्य सरकार की योजना नीति अनुसार अनुसूचित जनजातीय विकास के लिए राज्य सरकार के योजना विभाग द्वारा जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए राज्य की कुल योजना राशि का 9 प्रतिशत भाग चिन्हांकित किया जाता है जो प्रदेश की जनजातीय आबादी तथा अनुसूचित क्षेत्रों पर सैक्टोरल प्राथमिकता के आधार पर व्यय किया जाता है।

प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजनाः–

जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021–22 से 2025–26 के दौरान प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पी0एम0ए0ए0जी0वाई0) का क्रियान्वयन किया जा रहा है तथा इसका मुख्य उदेश्य चयनित गांवो का एकीकृत सामाजिक–आर्थिक विकास करना है तथा अधिसूचित एसटी आबादी वाले सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को इस योजना के अन्तर्गत कवर किया जाएगा।

2011 की जनगणना के आधार पर 2021-22 से 2025-26 के पहले चरण में कम से कम 50% एसटी आबादी और 500 एसटी संख्या वाले गांवो को कवर किया जाएगा। हि0 प्र0 में ऐसे 90 गांवो को चिन्हित किया गया है तथा दिशानिर्देशोनुसार चिन्हित गतिविधियों के लिए प्रति गांव 20.38 लाख रूपये की राशि गैप फिलिग फंड के रूप में प्रदान की जाएगी। प्रत्येक चिन्हित और अनुमोदित गांव में बुनियादी ढांचे, जैसे, सड़क कनेक्टिविटी, दूर संचार कनेक्टिविटी, स्कूल आंगनवाडी केन्द्र, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, पेय पदार्थ शामिल करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जनजातीय मंत्रालय, भारत सरकार ने हि0प्र0 राज्य को वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान आकांक्षी जिला चम्बा के 37 गांवो के लिए

665.12 लाख रुपये जारी किए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान 38 गांवो के लिए रू0 774.44 लाख का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदानः—

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातीय क्षेत्रों में विकास की उन परियोजनाओं की लागत को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाता है जिन्हें राज्य सरकार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के स्तर को राज्य के शेष भागों के स्तर तक ऊंचा उठाना चाहती है। वर्ष 2023-24 के दौरान रू0 228.73 करोड़ का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमः—

इस योजना के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु भी भारत सरकार के गृह मन्त्रालय का सीमा प्रबन्धन विभाग वार्षिक आधार पर धनराशि उपलब्ध करवाता है। प्रथम बार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1998—99 में रु0 4.00 करोड़ रुपये जनजातीय उप—योजना के अतिरिक्त प्राप्त हुए जो कि 2002—03 में बढ़कर रु0 10.97 करोड़ रुपये हो गए। परन्तु वर्ष 2003—04 से इसका प्रावधान जनजातीय उप—योजना में ही किया जा रहा है। वर्ष 2016—17 यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की 90:10 की भागीदारी में क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष 2022—23 में इस कार्यक्रम अन्तर्गत केन्द्र सरकार से मु0 1859.00 लाख रूपये तथा राज्य सरकार से मु0 206.56 लाख रूपये प्राप्त हुए हैं। तदोपरांत इस कार्यक्रम का विलय कर दिया गया है।

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP):-

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम वर्ष 2023—24 में ग्रह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हि0 प्र0 के कुल 703 सांकेतिक गांवों में से 75 गांवो (सीमावर्ती ब्लॉक कल्पा से 14 गांव, सीमावर्ती ब्लॉक पूह से 41 गांव और सीमावर्ती ब्लॉक स्पिती से 20 गांव) वर्ष 2022—23 से 2025—26 तक चिन्हित किए गए हैं। यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की 90:10 की भागीदारी में क्रियान्वित किया जा रहा है।

इन 75 गांवो के लिए दिशा निर्देशो के अनुसार क्षेत्रीय अधिकारियों अर्थात उपायुक्त किन्नौर तथा अतिरिक्त उपायुक्त स्पिति द्वारा कुल 658.31 करोड़ रुपये की कार्य योजना तैयार की गई और भारत सरकार जनजातीय मंत्रालय को भेजी गई है।

ग्रह मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 28 दिसंबर 2023 को वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत 3.87 करोड़ रुपये की राशि केवल 14 कार्यों के लिए In Principal के रुप में मंजूरी दी है तथा 28 दिसंबर, 2023 को 87.08 लाख रुपये केन्द्रीय हिस्सेदारी के रुप में स्वीकृत राशि का 25% (90%) जारी किया है।

नाभिक बजटः.––

ऐसे स्थानीय सामुदायिक विकासात्मक कार्यों जिनके लिए वर्ष के दौरान बजट उपलब्ध नहीं हो पाता परन्तु इन कार्यों के निष्पादन की नितान्त आवश्यकता प्रतीत होती हो, के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जनजातीय विधान सभा क्षेत्र के लिए 90.00 लाख तक की धनराशि आबंटित की जाती है तथा सम्बंधित परियोजना सलाहकार समिति की संतुति अनुसार नाभिक बजट के तहत प्रत्येक स्कीम/कार्य के लिए 3.00 लाख तक की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

हैलिकॉप्टर सेवाः–

जनजातीय क्षेत्रों में अपातकालीन परिस्थितियों के निपटारे के लिए स्थानीय प्रशासन के अनुरोध पर स्थानीय लोगों तथा कर्मचारियों की सुविधा के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने स्टिंगरी, उदयपुर, किलाड़ तथा रावा, अजोग, तिन्दी, बारिंग, साच, धरवास, तान्दी (डाईट), चोखंग, गोंदला, टिंगरिट, जिस्पा, सीसू, काजा व सगनम के लिए हैलिकॉप्टर उड़ानें उपलब्ध करवाई जाती हैं।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का प्रदेश में क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वनों में रह रहे अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों के वन अधिकारों जो कि पीढ़ियों से इन वनों में रह रहे हैं परन्तु उनके अधिकारों को अंकित नहीं किया जा सका तथा वन भूमि पर व्यवसाय, को पहचानना और चिन्हित करना है तथा इसके लिए रूपरेखा का प्रबन्ध तथा क्रियान्वयन करना है। कोई भी जनजातीय व्यक्ति या समुदाय ग्राम सभा के सम्मुख निम्न शर्तों के आधार पर दावा प्रस्तुत कर सकता हैः

- वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो

- स्थाई जीविका हेतु वन पर निर्भर हो
- 13 दिसम्बर, 2005 से पहले वन भूमि का अभिग्रहण (कब्जा) तथा 2 जनवरी, 2007 तक निरन्तर स्वामित्व हो।

अधिनियम की जागरूकता बारे एस आई आरडी के माध्यम से समय–2 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है तथा सभी जिलों को इस संदर्भ में राशि प्रदान की गई। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत मार्च, 2023 तक राज्य में 654 दावे (505 वयक्तिगत और 146 सामुदायिक) स्वीकृत किए गए जिनमें लाहौल और स्पिति में 108 व्यक्तिगत दावे स्वीकृत किए गए, विवरणः–

District	**Claims**					
	Individual Claims			**Community Claims**		
	Received	**Approved**	**Land Involved (in Hect.)**	**Received**	**Approved**	**Land Involved (in Hect.)**
Chamba	691	53	0.4289	132	94	22730.04
Kangra	61	0	0	65	28	28.8269
Lahaul-Spiti	937	108	2.7473	94	0	0
Kinnaur	3175	344	41.1445	129	0	0
Sirmour	13	0	0	0	0	0
Mandi	2	0	0	11	0	0
Shimla	1	0	0	0	0	0
Kullu	0	0	0	63	24	2605.75
Total	**4880**	**505**	**44.3207**	**494**	**146**	**25364.6169**

जनजातीय अनुसन्धान संस्थान.–

जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की योजना “Support to Tribal Research Institute (TRI)” के अन्तर्गत जनजातीय अनुसंधान को वर्ष 2018 में जनजातीय विकास विभाग में ही स्थापित किया गया है। भारत सरकार द्वारा विभिन्न अनुसंधान गतिविधियों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित और स्वीकृत किये जाते हैं जिस पर शत्–प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान का मुख्य उद्‌देश्य जनजातियों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर अनुसन्धान और मूल्यांकन

अध्ययन, विचार–गोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजन तथा राज्य सरकार के अधिकारियों को प्रशिक्षण तथा जनजातीय उप–योजना तैयार करने के लिए सहायता प्रदान करना है।

जनजातीय अनुसंधान संस्थान के निर्माण के लिए नये स्थान का चयन कर लिया है जो कि ग्राम पंचायत घरोग में हैं तथा संम्बधित ग्राम पंचायत से उपरोक्त संस्थान के निर्माण के लिए पिछले सप्ताह FRA की धारा 3(2) के तहत अनुशंसा प्राप्त कर ली गई है।

प्रधानमन्त्री वन धन विकास कार्यक्रमः–

प्रधानमन्त्री वन धन विकास कार्यक्रम जनजातीय कार्य मन्त्रालय के अन्तर्गत भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (TRIFED) द्वारा संचालित किया जा रहा है । प्रदेश में जनजातीय विकास विभाग को नोडल विभाग तथा हि0 प्र0 राज्य वन विकास निगम को कार्यकारी एजेंसी बनाया गया है ।

एक वन धन विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए 10 जनजातीय स्वंय सहायता समूह का होना आवश्यक है, जिसमें प्रत्येक स्वंय सहायता समूह में 30 सदस्य तक का होना जरूरी है। प्रत्येक वन धन विकास केन्द्र के लिए मु0 15 लाख रूपये का प्रवधान है तथा अतिरिक्त 10 लाख रूपये working capital के रूप में प्रत्येक वन धन विकास केन्द्र के लिए प्रदान किया जाता है।

प्रदेश में 4 वन धन विकास केन्द्रों नामतः निचार, पांगी, भरमौर तथा होली की स्थापना कर दी गई है जिसके लिए TRIFED द्वारा 41.80 लाख की धनराशी जारी कर दी गई है तथा एक अतिरिक्त वन धन विकास केन्द्र, सिसु, लाहौल का प्रस्ताव RM, TRIFED को स्वीकृति के लिए भेजा गया है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयः–

जनजातीय कार्य मन्त्रालय, भारत सरकार के दिशा–निर्देशानुसार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन हि0 प्र0 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रबन्धन, सोसाईटी के माध्यम से किया जा रहा है । प्रदेश में 4 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नामतः निचार, भरमौर, पांगी तथा लाहौल में खोले गए हैं, जिनमें कुल 794 छात्र–छात्राएं अध्ययनरत हैं।

नोटः– विभागीय विस्तृत जनकारी बेबसाईट https://himachalservices.nic.in/tribal/en-IN/index.html पर उपलब्ध है।

अनुलग्नक 'क'

जनजातीय विकास विभाग संगठन चार्ट

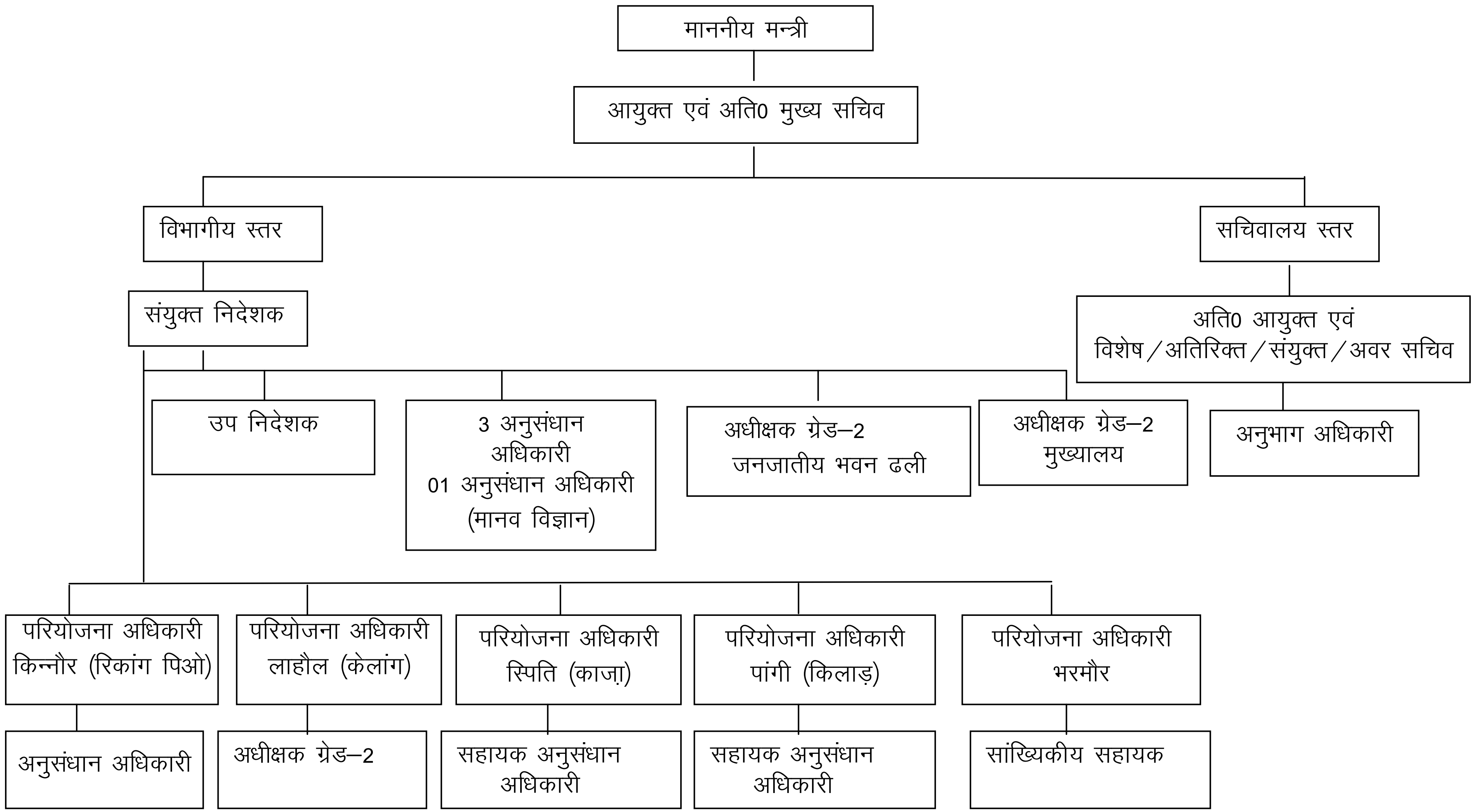

अनुलग्नक 'ख'

TRIBAL POPULATION IN HP:

	Census 2011						
	Area (Sq.Km)	Population			Density per sq.km.	Sex ratio	Literacy (%)
Distt./ITDP		Total	Scheduled Caste	Scheduled Tribe			
1. Kinnaur							
1. Kinnaur	6,401 (11.50%)	84,121	14,750	48,746	13	819	80.00
2.Lahaul-Spiti							
1. Lahaul	6,250 (11.23%)	19,107	1,699	15,163	3	931	74.97
2. Spiti	7,591 (13.63%)	12,457	536	10,544	2	862	79.76
3. Chamba							
1. Pangi	1,595 (2.86%)	18,868	1,246	17,016	12	970	71.02
2. Bharmour	1,818 (3.27%)	39,108	4,560	32,116	22	945	73.85
Total Scheduled Area	**23,655 (42.49%)**	**1,73,661 (2.53%)**	**22,791 (1.32%)**	**1,23,585 (31.52%)**	**7**	**877**	**77.10**
Rest Chamba	3,103	4,61,104	1,05,884	86,368	149	991	72.07
Kangra	5,739	15,10,075	3,19,385	84,564	263	1012	85.67
Kullu	5,503	4,37,903	1,22,659	16,822	80	942	79.40
Mandi	3,950	9,99,777	2,93,739	12,787	253	1007	81.53
Hamirpur	1,118	4,54,768	1,09,256	3,044	407	1095	88.15
Una	1,540	5,21,173	1,15,491	8,601	338	976	86.53
Bilaspur	1,167	3,81,956	98,989	10,693	327	981	84.59
Solan	1,936	5,80,320	1,64,536	25,645	300	880	83.68
Sirmour	2,825	5,29,855	1,60,745	11,262	188	918	78.80
Shimla	5,131	8,14,010	2,15,777	8,755	159	915	83.64
Total-Non-scheduled Area	**32,012 (57.51%)**	**66,90,941 (97.47%)**	**17,06,461 (98.68%)**	**2,68,541 (68.48%)**	**209**	**974**	**82.95**
Himachal Pradesh	**55,673 (100%)**	**68,64,602 (100%)**	**17,29,252 (100%)**	**3,92,126 (100%)**	**123**	**972**	**82.80**

Note: 1) % age of total ST Population in HP to total State population =5.71%

2) % age of tribal area population (ST+Others) to total State population = 2.53%

3)% age of total SC Population in HP to total State population= 25.19%

अनुलग्नक 'ग'

District of HP	ST Community										
	Bhot, Bodh	Gaddi	Gujjar	Jad, Lamba, Khampa	Kanaura, Kinnara	Lahaula	Pangwala	Swangla	Beta, Beda	Domba, Gara, Zoba	Generic Tribes	Total
Chamba	231	105064	9784	42	311	347	17063	64	0	7	2587	**135500**
Kangra	472	71499	11390	94	116	64	51	1	0	8	869	**84564**
Lahaul-Spiti	17843	7	9	3	24	363	25	6156	38	133	406	**25707**
Kullu	7456	195	1286	1173	1753	1882	337	2626	0	26	128	**16822**
Mandi	270	615	11278	101	111	61	6	23	74	6	242	**12787**
Hamirpur	31	73	2736	6	55	6	6	3	0	8	120	**3044**
Una	14	46	8379	0	5	6	13	2	3	1	132	**8601**
Bilaspur	52	20	10278	33	12	0	1	3	0	0	294	**10693**
Solan	62	202	23728	300	588	16	6	3	11	4	625	**25645**
Sirmaur	16	33	10545	15	90	2	3	2	50	5	501	**11202**
Shimla	312	343	3157	169	4141	124	46	42	47	20	346	**8755**
Kinnaur	332	33	17	38	43788	15	5	5	3	5	4505	**48746**
Grand Total	**27191**	**178130**	**92547**	**1974**	**50994**	**2886**	**17562**	**9630**	**226**	**231**	**10755**	**392126**

List of contact No.

Sr. No.	Office	Contact No.
1.	Hon'ble Minister (Tribal Development).	0177-2621017.
2.	Commr.-cum-ACS (TD) to the Govt. of HP.	0177-2622269.
3.	Addl. Commr.-cum-Joint Secretary (TD) to the Government of HP.	0177-2628483.
4.	Joint Director (TD), HP.	0177-2621997.